सुंदर लाल यादव विरुद्ध मैग्मा एच.डी.आई. जनरल इं.कं.लि. वगैरह

क्लेम प्रकरण क्रमांक 155/2025

Witness No. .....01..... For ... आवेदक साक्ष्य .....Deposition taken.....

the ..... 11.08.2026 ..... day of ..... मंगलवार ..... Witness's apparent age .. 51 वर्ष ...

States on affirmation..... शपथपूर्वक .....my name is ..... सुंदर लाल यादव.....

D/o,S/o of ..... श्री निरंजन लाल यादव ..... occupation .... कुछ नहीं .....

address --निवासी ग्राम कवालीपाली, थाना डभरा, तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ०ग०)

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 11:15 पी.एम.

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री रघुनाथ साहू अधिवक्ता वास्ते – आवेदक

1. घटना दिनांक 27.04.2025 को पिकअप गाड़ी के चालक ने ग्राम मिरौनी मोड़ में रोहित यादव और मेरा एक्सीडेंट कर दिया था । मैं मोटर सायकल में बैठा था तथा गाड़ी को रोहित चला रहा था । पिकअप गाड़ी के चालक ने तेजी से चलाकर एक्सीडेंट किया था । दुर्घटना के कारण मेरा पैर टूट गया था तथा मेरे पैर में रॉड लगा है तथा शरीर के अन्य अंगों में चोटें कारित हुआ था। घटना के बाद मेरा इलाज आर एल अस्पताल में हुआ था। मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है । मैं स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया हूं । मैं राजमिस्त्री का काम करके प्रतिमाह 20,000/–रूपये कमाता था, लेकिन अब कार्य करने में असमर्थ हूं । मुझे दावा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे ।
2. मेरे द्वारा अपने दावा के समर्थन में दुर्घटना से उत्पन्न से दांडिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है । पुलिस अंतिम प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 1,** प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी 02**, संपत्ति जप्ती **पत्रक 03 एवं 04**, आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक प्र**दर्श पी 05**, पुलिस के समक्ष मेरे द्वारा दिया गया कथन **प्रदर्श पी 06,** आरोपी वाहन का सुपुर्दनामा आदेश **प्रदर्श पी 07**, डॉक्टर आर.एल.हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टिकट **प्रदर्श पी 08**, इसके अलावा इलाज से संबंधित बिल **प्रदर्श पी 09 से 23** तक, जो कुल 15 पन्नों में है, को प्रस्तुत किया गया है । इसके अलावा इलाज से संबंधित डॉ.का पर्ची **प्रदर्श पी 24 से 26** भी

प्रस्तुत किया गया है । मैं मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड लेकर आया हूं, जिसका मूल क्रमशः **प्रदर्श पी 27 एवं 28** है तथा उसकी छाया प्रति **प्रदर्श पी 27 सी एवं 28 सी** है जो प्रकरण में संलग्न है ।

<u>प्रति परीक्षण द्वारा श्री मुकेश गोयल अधिवक्ता वास्ते– अनावेदक क्रमाँक 1</u>

3. मैं दुर्घटना दिनांक को अपने भतीजे रोहित के साथ उसकी मोटर सायकल पर बैठकर जा रहा था । मोटर सायकल रोहित चला रहा था । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि रोहित के पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति अथवा उसके मोटर सायकल का बीमा था या नहीं। यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना के समय हेल्मेट नहीं लगाया था ।
4. यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना रोहित के तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने से हुई है । दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी थी । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में घटना दिनांक 27.04.2025 लिखा है और घटना की पुलिस रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 लिखायी गयी है । यह कहना सही है कि पुलिस रिपोर्ट में विलंब से सूचना दर्ज कराने का कारण नहीं लिखा गया है ।
5. यह कहना गलत है कि मेरी दुर्घटना पिकअप क्रमांक सी जी 13 ए एन 6246 से नहीं हुई है। यह कहना गलत है कि मैंने जानबुझकर घटना के तथ्यों को छिपाते हुए विलंब से झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है । यह कहना सही है कि मैंने अपनी आय और व्यवसाय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किया है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मेरी आयु 60 वर्ष थी ।
6. यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित वाहन के चालक को नहीं जानता हूं । यह कहना सही है कि मेरा आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज वाला कार्ड बना है । यह कहना सही है कि मेरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ है । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 09 से प्रदर्श पी 23 तक के बिल फर्जी तरीके से तैयार कराकर प्रकरण में पेश किया है ।
7. दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 27 को किस डॉक्टर द्वारा जारी किया गया है, मैं नहीं बता सकता हूं । साक्षी स्वतः कहता है कि तीन–चार डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया है । यह

कहना सही है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब से कब तक विधि मान्य होगा और प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा वाला कॉलम खाली है । यह कहना गलत है कि मैंने उक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार कराकर प्रकरण में पेश किया है ।

8. यह कहना गलत है कि मैंने अपनी चोटों और इलाज का विवरण बढ़ा–चढ़ा कर बताया हूं । यह कहना गलत है कि मैंने अपने दावे के समर्थन में इलाज के संबंध में जो दस्तावेज पेश किए हैं, वे फर्जी है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अधिक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ाचढ़ा कर दावा पेश किया गया है।

<u>प्रति परीक्षण द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सिंह अधिवक्ता वास्ते– अनावेदक क्रमाँक 2 एवं 3</u>

9. यह कहना सही है कि मैंने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना पिकअप क्रमांक सी जी 13 ए एन 6246 से नहीं हुई है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना से मुझे कोई चोटें नहीं आयी थी । यह कहना गलत है कि मैं झूठा कथन कर रहा हूं ।

<u>साक्ष्य समाप्ति का समय 11:45 पी.एम.</u>

साक्षी को पढकर सुनाया
सही होना स्वीकार किया

SHRIKANT SHRIVAS
Digitally signed by SHRIKANT SHRIVAS
Date: 2026.08.11 18:25:00 +0530

(श्रीकान्त श्रीवास)
चतुर्थ अपर मो.दा.दु. अधिकरण
रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित ।

SHRIKANT SHRIVAS
Digitally signed by SHRIKANT SHRIVAS
Date: 2026.08.11 18:25:07 +0530

(श्रीकान्त श्रीवास)
चतुर्थ अपर मो.दा.दु.अधिकरण
रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सही/–
गवाह के हस्ताक्षर